न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 111/2016 साबिक प्र.स. 93/2009

उनवान

1 भागचन्द पिता लादु माली उम्र–वयस्क निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

2 गोपाल पिता लादु माली उम्र–वयस्क निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

3 उदा पिता लादु माली उम्र–वयस्क निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

4 मु.हगामी बैवा लादु माली उम्र–वयस्क निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

––– वादीगण

बनाम

1 जिलाधीश महोदय, जिला कार्यालय, शाहपुरा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री राजेश वर्मा
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

अनुपस्थित– प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांक – 23.02.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम अरवड प.ह.क्षेत्र अरवड तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित साबिक आराजी संख्या 1166 रकबा 1–11 बीघा भूमि वादीगण के पिता श्री लादु पिता हरदेव माली की खातेदारी अधिकार में थी। इन साबिक खसरे से पैमाईश कार्यवाही में निर्मित नवीन नम्बर 1576 रकबा 0.39 हैक्टयर कायम हुए। स्व. लादु माली की मृत्यूपरान्त खुली विरासत से आराजी वादीगण के नाम पर दर्ज अभिलेख चली आ रही है।

भू–प्रबन्ध कार्यवाही में साबिक खसरान से नवीन खसरान कायम किये गये, लेकिन हाल राजस्व नक्शे में साबिक राजस्व नक्शे के मुकाबले की गई तरमीम में अवैधानिक तरीके से परिवर्तन कर दिया गया। मुरलीधर मंदिर के पुजारी इस कर दी गई गलत तरमीम को आधार बनाकर वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। आये दिन विवाद उत्पन्न करते है। जबकि वादीगण की आराजियात से मुरलीधर मंदिर के नाम पर दर्ज आराजियात से करीब डेढ फीट उपर स्थित है।

वादीगण शुरूवात से साबिक नक्शे अनुसार काबिज चला आ रहा है। इसमें अन्य के कोई विधिक हक निहित नही है। महज भूप्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा हुई भूल मात्र से किसी अन्य के कोई हक अधिकार उत्पन्न नही हो जाते है। साबिक नक्शे एवं हाल नक्शों में किए गये परिवर्तन को दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला–शाहपुरा

(2)

यह गलत तरमीम राजस्व नक्शो को प्रथम दृष्टया देखने से दृष्टिगत होती है। यह त्रुटिपूर्ण तरमीम आदिनांक तक अनवरत रूप से चली आ रही है।

अतः ग्राम अरखड प.ह.क्षेत्र अरखड तहसील फुलियाकला की सरहद में स्थित साबिक आराजी संख्या 1165 के राजस्व नक्शा अनुसार हाल नक्शे में परिवर्तन कर तरमीम की जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 08.04.2009 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को कितनी ही मर्तबा आवाजे लगाये जाने के उपरान्त भी स्वयं विपक्षी अथवा उनकी ओर से कोई वैध प्रतिनिधि पैरवी हेतु हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकला की ओर से खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब इनकार में वादपत्र वादीगण की समस्त कलमों को सिरे से अस्वीकार किया गया। अंत वादपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

वादी पक्ष द्वारा शहादत में उपस्थित आये गवाह वादी पीडब्लु-01 श्री गोपाल माली के बयानात कलमबद्ध किए गये। दावे के समर्थन में राजस्व अभिलेखों पर लाल स्याही से आवश्यक अंकन किए गये।

वादीगण के नियुक्त अधिवक्ता ने मामले के अति-आवश्यक होने का कथन रखते हुए, बहस प्रस्तुत करना चाहने से प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी गई।

वाद विचारण दौरान ही प्रकरण को अन्तिम रूप से निपटारे के उद्देश्य से प्रकरण का अथो-पात अवलोकन किया गया। हाल आराजी संख्या 1576 रकबा 0.39 हैक्टयर भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है, इसकी ताईद प्रदर्श दस्तावेज संख्या 10 चालू जमाबन्दी से हुई है। प्रदर्श-7 भू-प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से साबिक खसरात से हाल खसरात का नवीन निर्मित/मिलान साबित होना पाया गया है।

वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख दस्तावेजात के ध्यानपूर्वक परीक्षण/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि साबिक राजस्व नक्शा प्रदर्श-4 एवं हाल राजस्व नक्शे प्रदर्श-01, 02 के तुलनात्मक परीक्षण से वादीगण के खसरे की तरमीम में परिवर्तन होना स्पष्ट दर्शित होना पाया गया है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश इस नवीन निर्मित खसरे के राजस्व नक्शे की तरमीम दोषयुक्त की गई है।

प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट दर्शित है कि भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शो की तरमीम में निश्चित रूप चूक हुई है। इस प्रकार वादीगण पक्ष द्वारा दावे के माध्यम प्रस्तुत दलील/अभिकथन स्वीकृत किये जाते है।

अतः इस प्रकार प्रकरण के अथो-पात अवलोकन करने से तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद में शपथपत्र तथा शहादत्त वादी में वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्रदर्श करवाये गये दस्तावेज के अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात न्यायालय वादीगण के वादपत्र ब-हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां जिला-शाहपुरा

(3)

::: आदेश :::

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम अरवड प.ह.क्षेत्र अरवड तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित हाल आराजी संख्या 1576 रकबा 0.39 हैक्टयर भूमि के राजस्व नक्शे में पैनाईश पूर्व की स्थिति/आकृति अनुसार हाल राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। यह ध्यान रखा जावें कि रकबा पूर्वानुसार रहे। तहसीलदार फुलियाकलां राजस्व नक्शें में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
फुलिया कलां जिला–शाहपुरा